

19<sup>12</sup> आज यह फावली कैम्प कोर्ट/राजस्व लोक अदालत  
में पेश हुई। पक्षकारान् में आपसी सजीनामा व सम्मती  
नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सका।  
अतः फावली न्यायालय में ही दिनांक 10-02-2022  
को पेश हो।

प्रशासन गांधी के संग अभियान 2021 उपखण्ड अधिकारी  
श्री जिला अलवर

10<sup>22</sup> फावली मुलवाड के साथ डि०  
114-22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
श्री जिला अलवर

11<sup>4</sup> आज यह फावली पेश हुई।  
वादी एवं वादी वकील (अनुपस्थित)  
प्रतिवादी एवं प्रतिवादी वकील (अनुपस्थित)  
मुलवाड अदम हाजरी एवं अदम  
फैरी में खारिज हो चुका है। मुलवाड  
का निस्तारण हो जाने से प्रार्थना  
पत्र 212/21 अल का कोई कॉन्क्लू  
नहीं रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र 212/21 अल  
की कार्रवाही ड्रॉप की जाती है। फावली  
फैसल शुभार होकर रजिस्ट्रार से  
काठ की जाती है। फिलान मुलवाड हो।

SPO